तारीख हुक्म	हुक्म या कायवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
5.08.19	वकील प्रार्थी उपस्थित एवं अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी वकील ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के तहत प्रकरण को वापिस लेने एवं पुनः प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत किया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि अधीक्षक डाकघर धौलपुर मंडल धौलपुर द्वारा एसीबी शाखा सीबीआई जयपुर में दर्ज की गई एफआईआर संख्या 14/17 तारीख 29.09.2017 अन्तर्गत धारा 120बी, 409/420, 467, 468, 471 आईपीसी एवं धारा 13(2) r/w 13(1) (सी) एवं (डी) के अनुसार अप्रार्थी द्वारा दिनांक 21.12.2010 से 24.12.2011 की अवधि में उप डाकपाल सब्जीमंडी टीएसओ के पद पर कार्य करते हुए पंकज कुमार सिंघल एसएएस एजेंट द्वारा मिलजुलकर खाताधारकों के फर्जी हस्ताक्षरों से एमआईएस खाता संख्या 8757618, 8757222, 8757436, 8757147, 8757183 एवं 8757552 को समयापूर्व बंद करने की अनुमति प्रदान करते हुए खातों को बंद कर दिया गया तथा इस एमआईएस खातों की राशि को एस बी खाता संख्या 688748, 689084, 688781, 688896 एवं 68860639 (जो कि वास्तविक एमआईएस खाताधारको के नहीं थे) में जमा कर दी गई फिर इन एसबी खातों से अप्रार्थी तथा पंकज कुमार सिंघल द्वारा मिलजुलकर बेईमानी से राशि रूपये 15,78,180/– का दुर्विनियोजन किया गया है। के फर्जी हस्ताक्षरों से उपरोक्त राशि का भुगतान कर दिया गया। वसूली हेतु राशि की रिकवरी के लिए अप्रार्थी तथा पंकज कुमार सिंघल दोनो उत्तरदायी है तथा दोनों से ही बराबर भाग में मय पेनल ब्याज की वसूली की जानी है। उपरोक्त प्रकार की वसूली सम्बन्धी राशि की सही स्थिति के बाबजूद सहवन तथा हिसाब– किताब की भूल से 31,63,910/– की वसूली का प्रकरण श्री पंकज कुमार सिंघल के विरूद्ध पृथक से प्रकरण संख्या 5/19 गलत प्रकार से दायर कर दिया गया है, क्योंकि प्रार्थी डाक विभाग के द्वारा कुल राशि 31,63,910 की वसूली जानी है जो दोनो प्रकरण संख्या 3/19 व 4/19 विरूद्ध उनवानी कमशः बहादुरसिंह व रघुवरदयाल की राशि से वसूल हो जाती है, उक्त राशि की अलग से अकेले श्री पंकज कुमार सिंघल से वसूल किये जाने की आवश्यकता नहीं रहती और ना ही प्रकरण 5/19 का न्यायालय में वसूली हेतु चलाये जाने की आवश्यकता रहती है। उपरोक्त प्रकार के समस्त हालत पर गौर कर सही इंसाफ हेतु प्रार्थी डाक विभाग को उक्त वसूली सम्बन्धी प्रकरण को वापिस लिया जाकर नये सिरे से अप्रार्थी एवं पंकज कुमार सिंघल के विरूद्ध वास्तविक एवं सही रिकवरी सम्बन्धी तथ्यों के साथ 15,78,180/– रूपये मात्र की राशि मय दंड ब्याज की वसूली हेतु प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी को प्रकरण वापिस लिए जाने में कोई एतराज नहीं है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि सहवन तथा	

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

हिसाब– किताब की भूल के कारण उक्त प्रकरण गलत प्रकार से दर्ज हो गये है। अतः प्रार्थना पत्र वापिस लेकर पुनः सही तथ्यों के साथ नये सिरे से प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जावे। अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र वापिस लेने व पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रकरण को वापिस लेने एवं पुनः प्रस्तुत करने के आदेश दिये जाते है। न्यायालय में कोई भी प्रकरण सही तथ्यों के साथ पेश करना प्रस्तुतकर्त्ता का दायित्व है। किन्तु इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा सही तथ्यों के साथ प्रकरण प्रस्तुत नहीं कर अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही की है। अतः प्रार्थी (अधीक्षक डाकघर धौलपुर) को सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर